

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(8)वित्त/राजस्व/2023

जयपुर, दिनांक-04-08-2026

संशोधित आज्ञा

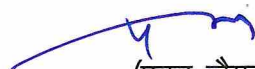
राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में तत्समय सहायक लेखाधिकारी ग्रेड -प्रथम के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 28-ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के कनिष्ठ सेवा-संवर्ग में लेखाधिकारी के पद पर निम्न तालिका में संदर्भित आदेशों के अनुसार स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया था।

क्र. स	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	मूल पदोन्नति आदेश	पदोन्नति वर्ष
1.	श्री धर्मेन्द्र कुमार मीणा (हाल लेखाधिकारी)	कार्यालय अधीक्षण अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (एन.एच. सर्किल) जयपुर	इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(8) वित्त /राजस्व / 2023 दिनांक 19.09.2025	वर्ष 2023-24
2.	श्री जगमोहन भूपेश (हाल लेखाधिकारी)	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर	इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(8) वित्त /राजस्व / 2023 दिनांक 19.09.2025	वर्ष 2023-24
3.	श्री दीपचन्द सैनी (हाल लेखाधिकारी)	वित्त (व्यय -4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(8) वित्त /राजस्व / 2024 दिनांक 19.09.2025	वर्ष 2024-25
4.	श्री सीताराम (हाल लेखाधिकारी)	कार्यालय आयुक्त, वी बी जीरामजी, जयपुर	इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(8) वित्त /राजस्व / 2024 दिनांक 19.09.2025	वर्ष 2024-25
5.	श्रीकृष्ण गोपाल आचार्य (हाल लेखाधिकारी)	वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(8) वित्त /राजस्व / 2025 दिनांक 03.10.2025	वर्ष 2025-26
6.	श्री राजेश कुमार कडेरा (हाल लेखाधिकारी)	कार्यालय आयुक्त, नगर निगम, अलवर	इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(8) वित्त /राजस्व / 2025 दिनांक 03.10.2025	वर्ष 2025-26

उपर्युक्त तालिका में अंकित अधिकारियों के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के परिप्रेक्ष्य में इनको आगामी तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां काल्पनिक रूप से देय होगी तथा काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त देय नहीं होगा।

तालिका में वर्णित इस विभाग के पूर्व आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,


(पवन जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री महोदय, वित्त, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/।।) विभाग।
8. संबंधित विभागाध्यक्ष।
9. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि उपर्युक्त तालिका में उल्लेखित श्रीका पदोन्नति उपरांत वेतन स्थिरीकरण पूर्व में किये जाने की दशा में उक्तानुसार संशोधन करते हुए अधिक भुगतान होने की स्थिति में नियमानुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित अधिकारी श्री।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

५ ५.८.२६
संयुक्त शासन सचिव